(b) if so, what are the details thereof indicating the response of NRIs and multinational companies to such liberalisation policeis?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (RAMESHWAR THAKUR): (a) and (b) The review of FERA is under consideration of the Government. The Government has appointed the Raja Chelliah Committee to go into the question of the rationalisation of the system of direct taxes with a view to removing anomalies, improving equity and sustaining economic incentives. Its report is awaited. The Government is also considering introducing the Direct Taxes Code for bringing the Income-tax, Wealth-tax and Gift-tax Acts under a single piece of legislation.

Department of Company Affairs have informed us that they have decided to introduce a Bill in Parliament to recodify the Companies Act, 1956.

अल्पसंख्यकों की आर्थिक दशा में सुधार

*70. **मौलाना ओबेदुल्ला खान आजमी** क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने अल्पसंख्यकों की आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक दशा सुधारने के लिए क्या-क्या योजनायें तैयार की हैं ;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अल्पसंख्यकों को उन योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है जो उनके कल्याण के लिए तैयार की गई हैं ; और

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है (नीचे देखिए)

(ख) ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

विवरण

अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु 15 सूत्री कार्य-क्रम से संबंधित कार्यवाई कार्यक्रम तथा की गई कार्यवाही की स्थिति

15 सूत्री कार्यक्रम के सूत्र	कार्यवाई बिन्दु	वर्तमान स्थिति
सूत्र सं० 1, 2 और 3		
साम्प्रदायिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में जिला अधिकारियों की तैनाती	राज्य सरकारों को संशोधित तथा व्यापक दिशानिर्देश जारी करना ।	साम्प्रदायिक सद्भाव के संवर्द्धन हेतु संशोधित दिशानिर्देश राज्य सरकारों को अप्रैल, 1990 में परिचालित किए गए ।
अच्छे कार्य के लिए जिला व पुलिस अधिकारियों को पुरस्कृत करना	—तदैव—	—तदैव—
साम्प्रदायिक तनाव भड़काने या हिंसा में भाग लेने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई	—तदैव—	—तदैव—

15 सूत्री कार्यक्रम के सूत्र	कार्यवाई बिन्दु	वर्तमान स्थिति
सूत्र सं० 4		
साम्प्रदायिक अपराधों के परीक्षण हेतु विशेष न्यायालय की स्थापना	उन स्थानों पर जहां साम्प्रदायिक हिंसा बड़े पैमाने पर भड़क चुकी है, अनन्य रूप से साम्प्रदायिक अपराधों के परीक्षणहेतु विशेष न्यायालयों की स्थापना की जाएगी।	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं दिल्ली, मेरठ भागलपुर, कोटा और जयपुर में विशेष न्यायालयों का पहले ही गठन किया किया जा चुका है।
सूत्र सं० 5		
दंगों के शिकार व्यक्तियों को अनुग्रह राहत	मृत्यु/स्थायी अपंगता के मामलों में अनुग्रह अनुदान की राशि को संशोधित कर 20,000 रु० से बढ़ाकर 50,000 रु० करने तथा दंगों के शिकार कम आय वाले व्यक्तियों की विधवाओं को 500 रु० प्रति मास पेंशन देने हेतु राज्य सरकारों को दिशानिर्देश जारी करना।	राज्य सरकारों को अप्रैल, 1990 में जारी साम्प्रदायिक सद्भाव संवर्धन संबंधी संशोधित दिशानिर्देशों में ये मदें भी शामिल हैं।
सूत्र सं० 6		
सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने में रेडियो/दूरदर्शन की भूमिका	दंगों के दौरान समुदायों के बीच परस्पर सहायता दर्शाने वाले विशेष फीचर सांप्रदायिक सद्भाव की आवश्यकता पर सीरियल विभिन्न समुदायों की प्रतिभागिता वाले विशेष कार्यक्रम आदि प्रसारित टेलीकास्ट करना।	इन कार्यक्रमों को कवर करने वाले विशेष फीचर कमीशन किए जा रहे हैं।
सूत्र सं० 7		
आपत्तिजनक और भड़काने वाली सामग्री का प्रकाशन-संपादक आदि के विरुद्ध कार्रवाई	इस संबंध में विशिष्ट उपायों पर विचार करना।	समय-समय पर राज्य सरकारों को इस संबंध में सतर्क रहने की सलाह दी जाती है।
सूत्र सं० 8, 9 और 10		
राज्य पुलिस बलों में भर्ती केन्द्रीय पुलिस संगठनों में भर्ती	नमूना पर्वेक्षण के माध्यम से पुलिस बलों में भर्ती अभियान कानून और व्यवस्था ड्यूटियों के लिए मिले-जुले बटालियन खड़ा करना सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने हेतु पुलिस कर्मियों का प्रशिक्षण हेतु अनुस्थापन कार्यक्रम परिचार/पार्श्व जनिक क्षेत्र के संगठनों/बैंकों में भर्ती बोर्डों की	राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि ये राज्य पुलिस बलों में अल्पसंख्यकों के बेहतर प्रतिनिधित्व मिले-जुले बटालियन खड़ा करने और पुलिस बलों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम सुनिश्चित करें। भर्ती और भर्ती

15 सूत्री कार्यक्रम के सूत्र	कार्यवाही का बिन्दु	वर्तमान स्थिति
सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों आदि में भर्ती	रचना मानीटिरिंग और सरकार/ बैंकों सार्वजनिक क्षेत्र संगठनों में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की मानिटिरिंग	बोर्डों/चयन समितियों/आयोगों आदि में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व के संबंध में नमूना सर्वेक्षण के लिए केंद्रीय मंत्रालयों/ विभागों से अनुरोध किया गया है ।
सूत्र संख्या 11–12		
तकनीकी शिक्षा और परोक्षण पूर्व प्रशिक्षण	1. सामुदायिक पालिटैकनिकों के विस्तार केंद्रों के माध्यम से अल्पसंख्यकों के लिए प्रासंगिक कौशलों और उपयुक्त टैक्नोलोजी में तकनीकी शिक्षा का प्रसार ।	अल्पसंख्यक संकेंद्रण वाले सभी 41 जिलों को सामुदायिक पालिटेकनिकों की योजना के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है ।
	2. अल्पसंख्यक संकेंद्रण वाले जिलों में अल्पसंख्यक शिल्पियों और कारीगरों के लिए प्रासंगिक व्यावसायों को जोड़कर आई०टी०आई० में प्रशिक्षण का पुनर्व्यवस्थापन/उन्नयन	1990–91 के दौरान इस योजना के अंतर्गत 9 अल्पसंख्यक संकेंद्रण जिलों को शामिल किया गया। 1991–92 के दौरान 17 को शामिल किया जाएगा
	3. उपयुक्त स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से विभिन्न भर्ती/प्रवेशन परीक्षाओं के लिए परीक्षापूर्व प्रशिक्षण ।	इस योजना के अंतर्गत 1990–91 में 36 परीक्षा-पूर्व कोचिंग/ प्रशिक्षण केंद्र स्वीकृत किए गए हैं।
	4. अल्पसंख्यक कालेजों में प्रशिक्षण की विश्वविद्यालयों/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग योजना का पुनर्गठन और विस्तार	20 विश्वविद्यालयों और 35 कालेजों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग योजना क्रियान्वयनाधीन है
सूत्र संख्या 13		
लाभों का उचित और पर्याप्त हिस्सा	**हस्तशिल्प**	
	अल्पसंख्यक संकेन्द्रण जिलों/क्षेत्रों में हस्तशिल्प के लिए पैकेज कार्यक्रम ।	1990–91 के दौरान आगरा संगमरमर जड़ाई/स्टोन वुड) हैदराबाद (बिद्रीय कार्य) में शिल्प विकास केन्द्र स्थापित किए ।
		मुरादाबाद में धातु शिल्प प्रशिक्षण केन्द्र का संयंत्र कार्य कर रहा है । काष्ठ नक्काशी की डिजाइन विकास परियोजना सहारनपुर में शुरू की गई है ।
	हथकरघा	
	अल्पसंख्यक संकेन्द्रण जिलों में हथकरघा विकास के लिए संघन कार्यक्रम शुरू किया जाएगा ।	कन्नूर, कालीकट जिलों और नाडिया के सोनितपुर को परियोजना पैकेज में शामिल किया गया है ।

15 सूत्री कार्यक्रम के सूत्र	कार्यवाही बिन्दु	वर्तमान स्थिति
		मुर्शिदाबाद को शामिल किया जाना है ।
	भागलपुर और मेरठ में सांप्रदायिक दंगों से प्रभावित क्षेत्रों में हथकरघा बुनकरों के पुनर्वास के लिए विशेष कार्यक्रम ।	एकविशेष कार्यक्रम शुरू किया गया है ।
		भागलपुर में 852 हथकरघा बुनकरों को नए पिट करघा दिए गए हैं, 493 लाभग्राहियों को सीमान्त धन और ब्याज इमदाद के रूप में 22.54 लाख रु0 वितरित किए गए और 473 व्यक्तियों को कार्य शेड-सह-गृहों के लिए 41.82 लाख रु0 की वित्तीय सहायता दी गई ।
	लघु उद्योग	
	(क) साझा सुविधा केंद्रों/प्रारूप विकास केन्द्रों की स्थापना	अलीगढ़ और हावड़ा में ताले, चमड़े के सूटकेस और सुई बनाने के उद्योगों के लिए सार्वजनिक सुविधा केंद्रों/प्ररूप विकास केंद्रों को शुरु करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए ।
	(ख) लघु उद्योगों के लिए प्रायोजी योजनायें ।	(ख) लघु उद्योगों के लिए प्रायोजित योजनाओं हेतु राज्य सरकारों द्वारा कार्य योजना तैयार की गई । शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए जिला उद्योग केन्द्र/स्वरोजगार योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम पर कार्रवाई शुरू की गई ।
	(ग) कारोगरों/ईडीपी प्रशिक्षण के लिए ट्राइसेम के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम ।	(ग) कारोगरों के प्रशिक्षण के लिए ट्राईसेम के अंतर्गत लगभग सभी राज्यों द्वारा विशेष कार्यक्रम तैयार किए गए हैं । राज्यों की कार्य योजनायों अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों, के लिए उद्यमी संबधी विकास कार्यक्रम भी शामिल हैं ।

15 सूत्री कार्यक्रम के तत्व	कार्यवाही का बिन्दु	वर्तमान स्थिति
	खादी तथा ग्रामीण उद्योग	
	ग्रामीण कारीगरों के लिए निधियों का विशेष आवंटन और विशेष कार्यक्रम ।	खादी और ग्रामीण उद्योग बोर्ड के संबंध में राज्य सरकारों द्वारा कार्य योजना प्रस्तावित की गई । कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए सभी राज्य खादी और ग्रामीण उद्योग बोर्डों को 13.17 करोड़ रुपए की निधियां प्रदान की गई और ग्रामीण उद्योग ने एक अल्पसंख्यक मूल्यांकन सेल स्थापित किया है ।
	आई० आर० डी० पी० /ट्राईसेम	
	स्व-रोजगार/प्रशिक्षण के लिए कार्यक्रम का बेहतर उपयोग ।	स्थानीय विशेष व्यवसायों/धंधों को ध्यान में रखते हुए अल्पसंख्यक बाहुल्य जिलों के लिए राज्य सरकारों को जिलावार योजना तैयार करनी हैं । आंध्र प्रदेश, हरियाणा, केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश द्वारा कार्य योजनायें पहले ही तैयार की जा चुकी हैं ।
	ऋण सहायता	
	अल्पसंख्यक बाहुल्य जिलों में ऋण की उपलब्धता के लिए कार्यक्रम ।	मार्च, 1991 तक अल्पसंख्यक बाहुल्य जिलों में 213 शाखायें खोली गई । 198 अतिरिक्त केन्द्रों का निर्धारण किया गया।
सूत्र सं० 14 और 15		
शिकायतों का समाधान, बक्फ आदि पर अधिक्रमण को हटाना ।	बक्फ संपत्तियों/क्रिस्तानों आदि पर अतिक्रमणों से संबंधित शिकायतों संबंधी समस्याओं से निपटने शिकायतों को दूर करने के लिए शीघ्र और संतोषजनक आधार पर उपाय करना ।	इस संबंध में राज्य सरकारों को समय-समय पर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं ।